विभागाध्यक्ष

वाणिज्य विभाग
म0गां0 काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

दिनांक–12–02–2018

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक
म0गां0 काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

महोदय,

मेरे संज्ञान में आया है कि बी0कॉम0 तृतीय वर्ष के परीक्षा आवेदन पत्र (Examination Form) में कुछ महाविद्यालयों द्वारा वैकल्पिक विषय का चुनाव नियम के विपरीत किया गया है, नियमानुसार बी0कॉम0 प्रथम वर्ष से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वैकल्पिक विषय पुंज में प्रथम वर्ष में जो वैकल्पिक विषय लिया जायेगा उसका पूरक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्या हेागा। जैसे–

Group 'A'

B.Com. I में Introduction to Computer Application

B.Com. II में Business Graphics and Multimedia Management

एवं B.Com. III में उन्हीं छात्रों को Information Technology का पेपर वैकल्पिक विषय के रूप में लेना है। उपरोक्त विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का भी प्रावधान है। जबकि Group 'B' एवं Group 'C' में प्रायोगिक परीक्षा नही है।

Group 'B' एवं Group 'C'

Office Management/Business Math-B.Com. I के छात्र B.Com.II में Business Communication/Principles of Insurance में किसी प्रश्नपत्र का चयन करेंगे तथा यही छात्र B.Com. III में Principles & Practices of Actuaries वाले वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे क्योंकि पूर्व से सूचित किया गया था कि 2017–18 में Indirect Taxes का पेपर अप्रचलित होने के कारण नहीं पढ़ाया जायेगा भविष्य में 2018–19 से इसके स्थान पर GST(Goods & Services Tax) Introduce किया जायेगा।

उपरोक्त के कम में सूचित करना है कि जिन छात्र–छात्राओं ने B.Com I एवं II में Group 'A' के पेपर नहीं लिये वे B.Com. III में नियम के विपरीत Group 'A' के पेपर का चयन नहीं कर सकते जबकि कुछ छात्रों ने Information Technology के साथ परीक्षा फार्म भर दिया है जो पूर्व से बनाये गये नियमों एवं परीक्षा समिति के विभिन्न निर्णयों की सीधे अवहेलना है इन्हें B.Com. III में "Principles & Practices of Actuaries ही लेना है।

अतः अनुरोध है कि परीक्षा की गोपनीयता, संवेदनशीलता एवं छात्रों के परीक्षाफल को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों के परीक्षा आवेदनपत्र में संशोधन कर उन्हें प्रवेशपत्र निर्गत करने एवं परीक्षा कराने का कष्ट करें अन्यथा सरासर अध्यादेश एव परीक्षा समिति के निर्णयों की अवहेलना होगी। इस तरह का निर्देश/चेतावनी विश्वविद्यालय की Website पर भी यथाशीघ्र upload होना चाहिए जो विश्वविद्यालय हित में होगा।

Sri Arindamji
for n.a.p.

भवदीय,

(signature)
प्रो0(कृष्ण कुमार अग्रवाल)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मा0 कुलपति जी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2–कुलसचिव, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3–संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

परीक्षा नियंत्रक / प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रो0(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
विभागाध्यक्ष